# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com


**वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 07.06.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, आज, दैनिक जागरण, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।**

## अमर उजाला–दि0 07.06.2025

### वीडीए ने छह बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई

**वाराणसी।** वीडीए ने शुक्रवार को मुगलसराय में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। वार्ड मुगलसराय के अलीनगर में बिना ले आउट स्वीकृत कराए 6 बीघे जमीन पर प्लॉटिंग कराई जा रही थी। जोनल अधिकारी गौरव जयप्रकाश की अगुवाई में कार्रवाई की गई। ब्यूरो

## अमर उजाला–दि0 07.06.2025

### उंदी ताल परियोजना के लिए मिट्टी की खोदाई शुरू

**वाराणसी।** वीडीए की उंदी ताल परियोजना के लिए शुक्रवार को बैठक हुई। अधीक्षण अभियंता अजय पवार ने कहा कि तहसील पिंडरा के ग्राम उंदी में 110000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में उंदी ताल का विकास कार्य कराया जाना है। प्रथम चरण में वीडीए की ओर से मिट्टी की खोदाई का कार्य एटीई चंद्रा फाउंडेशन ने शुरू किया है। वर्तमान में उंदी ताल से 50 सेमी की खोदाई की जा रही है। 53 किसानों की ओर से मिट्टी खेतों में ले जाई जा रही है। 5000 घन मीटर का उपयोग किया जा रहा है। ब्यूरो

## आज–दि0 07.06.2025

### उंदी में विप्रा तैयार करेगा ताल

विकास प्राधिकरण तहसील पिण्डरा के ग्राम उंदी में लगभग एक लाख दस हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में ताल का जीर्णोद्धार करेगा। इसमें सबसे पहले मिट्टी की खोदाई की जा रही है। जिसके लिए एक निजी संस्थाको चयनित किया गया है। इसमें निकलने वाले मिट्टी को किसानोंके खेतों में भेजा जायेगा। जिससे कि खेतों की क्षमतामें वृद्धि हो। इसके लिए ५३ किसानों ने यहां की मिट्टी ले जाने के लिए सूचना दी है। इसके लिए उन्हें नि:शुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें लगभग पांच हजार घन मीटर उपजाऊ मिट्टी किसानों को दी जायेगी। ताल का सुन्दरीकरण होने से आसपास के लोगों को राहत होगी और भूमिगत जलाशय में सुधारके लिए अच्छा प्रयास होगा।

# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

## दैनिक जागरण—दि0 07.06.2025

# अवैध प्लाटिंग व कालोनाइजरों के कार्यालय को कराया ध्वस्त

### अलीनगर नहर के पास छह बीघा में हो रही थी अवैध प्लाटिंग
### वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से मचा हड़कंप

संवाद सूत्र, जागरण, नियामताबाद (चंदौली) : वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को क्षेत्र में अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जिसमें अलीनगर नहर के पास छह बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लाटिंग को जमींदोज किया गया। वहीं कालोनाइजरों के कार्यालयों को जेसीबी से ढहा दिया गया। इससे क्षेत्र के कालोनाइजरों में हड़कंप मचा रहा।

वीडीए के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश और अवर अभियंता अशोक कुमार यादव अधीनस्थों के साथ क्षेत्र के अलीनगर नहर के पास विकसित हो रही कालोनी में पहुंचे। जहां हो रहे निर्माण और सड़कों को जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। वहीं विकसित हो रही कालोनियों में बने प्लॉटों की बाउंड्री वाल को भी जमींदोज किया गया। वीडीए की इस कार्रवाई से कालोनाइजरों में हड़कंप मचा रहा। जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश ने बताया कि उक्त कालोनियां बिना नक्शा व लेआउट पास कराए अवैध तरीके से विकसित की जा रही हैं। जबकि बीते 27 जनवरी को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत प्लाटरों को नोटिस जारी की गई थी। लेकिन प्लाटरों ने न तो स्वीकृति ली और न ही नक्शा पास कराया। जिनके खिलाफ कार्रवाई के तहत अज्ञात कॉलोनाइजरों के छह बीघा भूखंड पर बने प्लॉटों के बाउंड्रीवाल को जमींदोज किया गया है। कहा कि कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने से पूर्व वीडीए से उसकी पूरी जानकारी अवश्य ले ले।

## न्यायाधीश—दि0 07.06.2025

# अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-5, वार्ड-मुगलसराय के अंतर्गत में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-मुगलसराय के अंतगर्त अज्ञात द्वारा मौजा-अलीनगर नहर के पास, थाना-अलीनगर, वार्ड-मुगलसराय,में बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 15167 वर्गमीटर (06 बीघे) जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त धारा-27 एवं 28 को नोटिस दिनांक 27.01.2025 को नोटिस की कार्यवाही सम्पादित की गयी थी परन्तु प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गया तदृक्रम में दिनांक 05.02.2025 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया। पारित ध्वस्तीकरण के अनुपालन में आज दिनांक 06.06.2025 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।मौके पर जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जय प्रकाश एवं अवर अभियंता अशोक यादव तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 07.06.2025

## उन्दी ताल का किया जा रहा है, जीर्णोद्धार

वाराणसी । स्थानीय तहसील-पिन्ड्रा के ग्राम उन्दी में प्रस्तावित गौतम बुद्ध ई को उन्दी सारनाथ, वाराणसी परियोजना के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा ग्राम उन्दी के अन्तर्गत स्थित उन्दी ताल का जीणोद्धार किया जा रहा है, ताल के लगभग 110000.00 वर्ग मी0 क्षेत्रफल में प्रथम चरण में प्राधिकरण द्वारा डिसलटिंग (मिट्टी की खोदाई) का कार्य ए.टी.ई चन्द्रा फाउण्डेशन के माध्यम से कराया जा रहा है वर्तमान में उन्दी ताल से लगभग 50 सेमी0 की गहराई तक मिट्टी की खुदाई कि जा रही है जो किसानों के खेतो के लिए काफी उपजाऊ मिट्टी है उक्त मिट्टी को 53 किसानों द्वारा अपने खेतों में ले जाया गया है तथा प्राधिकरण द्वारा उक्त उर्वरक मिट्टी किसानो को निशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। स्थल से लगभग 5000 घन मी0 उपजाऊ मिट्टी का उपयोग लगभग 53 किसानों द्वारा किया गया है, इस कार्य हेतु लगभग 146 किसानों द्वारा ए.टी.ई चन्द्रा फाउण्डेशन फर्म में अपना रजिस्ट्रेशन कराया गया है।